# FAQ (Frequently Asked Question)

1. BAZAR App क्या है ?

   Ans:- BAZAR App  एक मोबाइल एप्प है जिसका उपयोग कर झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में रहने वाले  लोग अपने आस पास के दुकानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं एवं अपनी आवश्यकता अनुसार M-pass प्राप्त कर चयनित दुकान से सामानों की खरीद कर सकते हैं |  M-Pass उपलब्धता के अनुसार दो घंटे के  किसी भी स्लॉट के लिए लिया जा सकता है। ग्राहक चाहें तो दुकान से डिलीवरी के लिए भी एप्प के माध्यम से ही सीधा संपर्क कर सकते हैं।
   इस एप्प के माध्यम से दुकानदार भी निबंधित हो कर अपने दो डिलीवरी स्टाफ के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिए M-pass प्राप्त कर सकते हैं।
   ग्राहक एवं दुकानदार के आपसी संपर्क के लिए जियो लोकेशन का उपयोग किया जाता है।

2. BAZAR App के यूजर कौन हो सकते हैं ?

   Ans:- BAZAR App के मुख्यता दो यूजर हैं

   1. दुकानदार (Merchant):- जो निम्न श्रेणियों में कारोबार करते हैं।

      a. राशन
      b. दूध
      c. दवाईयाँ
      d. सब्जी
      e. फल

   ग्राहक (Buyer) :- झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी निवासी।

3. BAZAR APP को कैसे डाउनलोड किया जा सकता है ?

- Ans:- इस ऐप्प को आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्लेस्टोर पर जा कर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर निम्न QR CODE को अपने मोबाइल द्वारा स्कैन कर के भी प्राप्त कर सकते हैं |

  निम्नलिखित URL के माध्यम से भी मोबाइल ऐप्प को इनस्टॉल कर सकते हैं |

  https://bit.ly/34Lm5cC

4. BAZAR App के उपयोग से ग्राहक कैसे दुकानदार से संपर्क कर सकते हैं ?

   Ans:- BAZAR App में सर्वप्रथम ग्राहक एवं दुकानदार दोनों को निबंधित होना होगा |
   ग्राहक को निबंधन करने के लिए निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता होगी :-

1. ग्राहक का नाम
2. ग्राहक के पिता का नाम
3. ग्राहक का मोबाइल नंबर
4. ग्राहक का परिचय पत्र एवं इस परिचय पत्र की संख्या
5. ग्राहक की आयु (आयु 15 वर्ष से 54 वर्ष तक ही हो सकती है )
6. ग्राहक का वर्तमान  जिला एवं वार्ड
7. ग्राहक का पता (जिओ लोकेशन के आधार पर पता सेलेक्ट किया जाना है )
   जिओ लोकेशन सेलेक्ट होने के बाद सिग्नेचर में अपना नाम डालना है | नाम डालने के बाद आपको एक SMS आयेगा | प्राप्त SMS ही आपका पासवर्ड होगा |
   निबंधन होने के बाद ग्राहक को उसके मोबाइल में पास के दुकानों की सूचि दिखाई देगी | किसी भी दुकान का चयन करने पर Call Merchant का ऑप्शन आएगा | उसका उपयोग करके ग्राहक संबधित दुकान से एप्प के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं |

5. क्या होम डिलीवरी की सुविधा भी है ?

   Ans:  होम डिलीवरी की सुविधा दुकानदार पर निर्भर है |

6. होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने पर क्या करें ?

   Ans:- होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होने पर ग्राहक अपने लिए M-PASS निर्गत कर सकते हैं |
   ये सुविधा एप्प में उपलब्ध है |

7. M-PASS कैसे प्राप्त करें ?

   Ans: M-PASS प्राप्त करने के लिए  ग्राहक को अपने मोबाइल पर लॉग इन करना होगा | लॉग इन के पश्चात M-PASS Button पर click करना होगा | उसके बाद अपनी सुविधानुसार उपलब्ध टाइम स्लॉट का चयन करना होगा | टाइम स्लॉट के अनुसार आपके मोबाईल में M-PASS स्वत: उपलब्ध हो जायेगा |

8. M-PASS की वैधता क्या है ?

   Ans: M-PASS की वैधता 2 घंटे की है एवं उसका उपयोग उसी समयावधि में ही किया जा सकता है |

9. क्या M-PASS का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिया किया जा सकता है ?

   नहीं, M-PASS का उपयोग किसी और कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है ?

10. एक दिन में कितनी बार M-PASS प्राप्त किया जा सकता है ?

    Ans: एक दिन में केवल एक बार ही M-PASS प्राप्त किया जा सकता है।

11. टाइम स्लॉट उपलब्ध नहीं होने पर क्या करें ?

Ans:- सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए एक वार्ड में एक टाइम स्लॉट पर सीमित संख्या में पास निर्गत किए जाते हैं।

नगरनिगम के एक वार्ड में प्रतिदिन प्रति टाइम स्लॉट कुल 50 M-PASS का प्रावधान है |

नगर परिषद में प्रतिदिन प्रति टाइम स्लॉट कुल 30 M-PASS का प्रावधान है |

नगर पंचायत में प्रतिदिन प्रति टाइम स्लॉट कुल 15 M-PASS का प्रावधान है |

अत: टाइम स्लॉट की उपलब्धता की प्रतीक्षा कीजिये |

12. ग्राहक को कैसे पता चलेगा की M-PASS की वैधता समाप्त होने वाली है ?

Ans :- M-PASS में वैधता अंकित है | ग्राहक को और सुविधा प्रदान करने हेतु M-PASS पर रंग पट्टी दी गयी है | जब तक रंग पट्टी हरे रंग की रहती है तब तक ये M-PASS वैध है | इसका रंग नारंगी होने पर आपको अविलम्ब घर वापस जाना चाहिए | रंग लाल होने पर इसकी वैधता समाप्त हो जाती है |

13. अगर दूकानदार के पास होम डिलीवरी की सुविधा है तो क्या करें ?

Ans:- अगर दुकानदार के पास होम डिलीवरी की सुविधा है तो इस ऐप्प का उपयोग कर दुकानदार प्रतिदिन अपने दो डिलीवरी स्टाफ के लिए M-PASS स्वयं निर्गत कर सकते हैं | यह पास प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक के लिए वैध होगा। इसके लिए एप्प में Add Delivery Boy / Staff का ऑप्शन उपलब्ध है |

14. Delivery Staff की M-PASS की कितनी वैधता क्या है ?

Ans:- डिलीवरी स्टाफ के M-PASS की वैधता प्रात : 6:00 से रात्रि 10:00 बजे तक की है | इसे प्रतिदिन निर्गत किया जाना जरुरी है |

15. M-PASS के साथ क्या परिचय पत्र की भी आवश्यकता है ?

Ans:- हाँ, परिचय पत्र की भी आवश्यकता है | कृपया जिस परिचय पत्र का जिक्र M-PASS में किया गया है उसे अपने साथ रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा M-Pass अनुमान्य नहीं होगा।

16. क्या BAZAR APP हॉटस्पॉट जोन में भी काम करेगा ?

Ans:- यह एप्प हॉट स्पॉट जोन में कार्य नहीं करेगा।

Hotspot / Containment Zone के सभी दुकान ब्लॉक होंगे | परन्तु हॉटस्पॉट के बाहर के दुकान उपलब्ध होंगे |

17. क्या Hotspot / Containment Zone के लिए भी M-PASS उपलब्ध होगा |

Ans:- Hotspot / Containment Zone के वार्ड ब्लाक रहेंगे एवं उस वार्ड के लिए पास निर्गत नहीं होंगे | पूर्व में निर्गत M-PASS भी स्वत: अमान्य माने जायेंगे | किसी भी स्थिति में M-PASS मान्य नहीं है |

18. अपनी वार्ड सख्या कैसे जाने ?

Ans: आप अपना वार्ड नम्बर Municipal Property Tax Receipt से प्राप्त कर सकतें हैं |

19. अगर सम्बंधित वार्ड नहीं दिख रहा है तो क्या करें |

Ans :- मुख्यतया Hotspot / Containment Zone के कारण ऐसा हो सकता है | अन्य स्थिति मैं आप जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं |

20. अगर सम्बंधित वार्ड नहीं दिख रहा है तो क्या अन्य वार्ड से निबंधन कर सकते हैं ?

Ans:- नहीं, सम्बंधित वार्ड से ही आप निबंधन कर सकते हैं | गलत डाटा देने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है |

21. क्या Trade Licence अनिवार्य है ?

Ans: अनिवार्य नहीं है |

22. क्या M-PASS प्राप्त करने हेतु किसी अधिकारी से संपर्क करना आवश्यक है ?

Ans: M-PASS आपके मोबाइल में स्वत: निर्गत होता है एवं निशुल्क है |

23. क्या M-PASS की वैधता बढाई जा सकती है ?

Ans:- नहीं M-PASS की वैधता नहीं बढ़ाई जा सकती है |

24. क्या अपने प्रोफाईल में बदलाव किया जा सकता है |

Ans:- मोबाइल नंबर के अतिरिक्त सभी डाटा में बदलाव किया जा सकता है | इसके लिए एप्प में ही प्रावधान है |

25. क्या Merchant एक से ज्यादा मोबाइल नंबर से निबंधन कर सकता है ?

Ans:- Merchant एक दुकान के लिए एक ही मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं |

Merchant अन्य मोबाइल नंबर से दूसरा निबंधन कर सकते हैं |

अलग Shop Name रखने की बाध्यता नहीं है |

26. क्या Merchant अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकता है ?

Ans:- Merchant मोबाइल नंबर के अतिरिक्त सभी डाटा में बदलाव कर सकते हैं |

27. Password भूल जाने की स्थिति में क्या करें ?

Ans:- Forget Password का उपयोग करने से आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा पासवर्ड प्राप्त हो जायेगा |

28. भविष्य में दुकान बंद होने की स्थिति में कैसे दुकान को सूचि से हटा सकते हैं |

Ans:- वर्तमान में जिला प्रशासन से संपर्क कर अपने दुकान को सूचि से हटा सकते हैं | अपनी दुकान को ऐप्प पर बंद भी दिखा सकते हैं ।

29. Mobile App से सम्बन्धित मार्गदर्शिका कहाँ उपलब्ध होगी |

Ans:- Mobile App से सम्बन्धित सभी प्रकार की सहायता के लिए सम्बन्धित मार्गदर्शिका आपके जिला के वेबसाइट पर उपलब्ध होगी |

30. क्या BAZAR Mobile App के लिए जिओ लोकेशन on रखना है ?

Ans:- निबंधन के समय एवं दुकान सर्च करने के समय लोकेशन ON रखना आवश्यक है |

31. क्या BAZAR Mobile App दिए गए जानकारी के अतिरिक्त कोई और भी डाटा प्राप्त करता है ?

Ans:- यह Mobile App केवल आपके द्वारा दी हुई जानकारी ही प्राप्त करता है । आँकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है ।

32. क्या Hotspot / Containment Zone में निर्गत M-PASS बैध है ?

Ans:- नहीं , अगर M-PASS निर्गत है और बाद में वो वार्ड Hotspot / Containment Zone घोषित हुआ है तब भी M-PASS अमान्य समझा जायेगा |

महत्वपूर्ण :- M-PASS के दुरूपयोग की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है |